6. उम्र सीमा

(a) न्यूनतम उम्र सीमा :– 21 वर्ष।

(b) अधिकतम उम्र सीमा :– संकल्प संख्या–4(20) दिनांक–06.01.2021, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	कोटि	सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1.	अनारक्षित	42	47 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा	44	49 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा	45	50 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	47	52 वर्ष
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	42	47 वर्ष

नोटः–उम्र की गणना 01.08.2021 के आधार पर की जायेगी।

7. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रियाः**–झारखण्ड लोक सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संसूचित रिक्तियों के आलोक में लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन कर अनुशंसा करेगा।

लिखित परीक्षा का स्वरूप :–

(a) लिखित परीक्षा :– यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective Type) होगी, जिसमें 100–100 अंको के निम्न 5 (पाँच) पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र के लिए दो–दो घण्टे का समय निर्धारित रहेगा।

प्रथम पत्र	अंक	कुल अंक
1) (क) मौलिक सिद्धांत (Basic Principle)	25	100
(ख) शरीर रचना विज्ञान (Anatomy)	25	
(ग) शरीर क्रिया विज्ञान (Physiology)	25	
(घ) अगद तंत्र (Toxicology & Jurisprudence)	25	
द्वितीय पत्र		
2) (क) काय चिकित्सा (Treatment)	75	100
(ख) रोग एवं विकृति विज्ञान (Pathology)	25	
तृतीय पत्र		
3) (क) कौमार भृत्य (Paediatrics)	50	100
(ख) प्रसूती तंत्र एवं स्त्री रोग विज्ञान (Gynaecology & Obstetrics)	50	
चतुर्थ पत्र		
4) (क) शल्य तंत्र (Surgery)	50	100
(ख) शलाक्य तंत्र (Eye & E.N.T.)	50	
पंचम पत्र		
5) (क) रस शास्त्र एवं भैश्ज्य कल्पना (Ras shastra & Pharmacy)	50	100
(ख) द्रव्य गुण विज्ञान (Materia Medica)	50	
मौखिक परीक्षा	50	50

नोटः–संविदा पर कार्यरत वैसे आयुष चिकित्सक, जो नियमित रूप से 05 वर्षों से कार्यरत हैं। उन्हें आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में प्रतिवर्ष 02 अंक के रूप में अधिमानता लाभ एकबारगी व्यवस्था के तहत दिया जायेगा। अर्थात् 05 वर्षों तक संविदा के आधार पर नियमित रूप से कार्यरत पदधारकों को प्रति वर्ष 02 अंक अर्थात् अधिकतम कुल–10 अंक अधिमानता के रूप में देय होगा। संविदा पर कार्यरत् वैसे आयुष चिकित्सक जो नियमित रूप से 05 वर्षों से कम समय से कार्यरत हैं उन्हें इसका लाभ देय नहीं होगा।

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/